न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 829 / 2024

अनवान : –

1. अनुसुईया उर्फ शारदादेवी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।

– वादीया

बनाम्

1. विकास पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. सुमेरसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. सोनू कंवर पत्नी विकास जाति राजपूत निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. पुष्पा पत्नी प्रहलाद जाति राजपूत निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
6. नाबालिंग गोविन्द पुत्र प्रहलाद जरिये कुदरती बली माता पुष्पा पत्नी प्रहलाद जाति राजपूत निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
7. नाबालिंग मोहित पुत्र प्रहलाद जरिये कुदरती बली माता पुष्पा पत्नी प्रहलाद जाति राजपूत निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त० अधि० 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेराकार राज

निर्णय दिनांकः 09/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मोजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 128 / 127 के कुल खसरे 28 की कुल 6.6920 है. भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

रोही मोजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 128 / 127 के कुल खसरे 28 की कुल 6.6920 है. भूमि रणजीत पुत्र छोगसिंह की मृत्यु के पश्चात् मृतक के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम विरास्तन दर्ज हो गई। जबकी उक्त भूमि के प. न. 365 / 394 के मु.न. 62 के किला न. 3 की भूमि में से मिन उतर की कुल 0.1270 है. भूमि के मिन उतरी पश्चिमी कोना की 0.03926 है. भूमि का बैयनामा प्रतिवादीगण के मृतक पिता रणजीतसिंह पुत्र छोगसिंह व मृतका दादी शेरा पत्नी स्व. श्री छोगसिंह से जरिये बैयनामा दिनांक 21.11.2005 को वादीया अनुसुईया उर्फ शारदादेवी पत्नी रामस्वरूप के नाम उपपंजीयक नोहर में पंजीयन करवाया था। जिस पर वादीया निंविवाद काबिज है। विरास्तन दर्ज होने की वजह उक्त बैयनामा का नामान्तकरण दर्ज नहीं हो प[illegible] मोजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076–20[illegible] कुल खसरे 28 की कुल 6.6920 है. भूमि के किला न. 3 के मिन उतर [illegible] 3 / 1 की कुल 0.1[illegible] भूमि के मिन उतरी पश्चिमी कोना की 0.03926 है. भूमि [illegible] वादीया मुताबिक बै[illegible] दिनांक 21.11.2005 की रूह से काबिज है व निंविवाद काश्त करती चली आ रही है। वादीया जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:47:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने की अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी द्वारा खरीद की गई वादी के नाम दर्ज करवा दे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, चित्रप्रति रजिस्टर्ड बैयनामा आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मोजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 128/127 के कुल खसरे 28 की कुल 6.6920 है. भूमि रणजीत पुत्र छोगसिंह की मृत्यु के पश्चात् मृतक के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम विरास्तन दर्ज हो गई। जबकी उक्त भूमि के प. न. 365/394 के मु.न. 62 के किला न. 3 की भूमि में से मिन उतर की कुल 0.1270 है. भूमि के मिन उतरी पश्चिमी कोना की 0.03926 है. भूमि का बैयनामा प्रतिवादीगण के मृतक पिता रणजीतसिंह पुत्र छोगसिंह व मृतका दादी शेरा पत्नी स्व. श्री छोगसिंह से जरिये बैयनामा दिनांक 21.11.2005 को वादीया अनुसुईया उर्फ शारदादेवी पत्नी रामस्वरूप के नाम उपपंजीयक नोहर में पंजीयन करवाया था। जिस पर वादीया निर्विवाद काबिज है। विरास्तन दर्ज होने की वजह उक्त बैयनामा का नामान्तकरण दर्ज नही हो पाया। रोही मोजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 128/127 के कुल खसरे 28 की कुल 6.6920 है. भूमि के किला न. 3 के मिन उतर के 3/1 की कुल 0.1270 है. भूमि के मिन उतरी पश्चिमी कोना की 0.03926 है. भूमि पर वादीया मुताबिक बैयनामा दिनांक 21.11.2005 की रूह से काबिज है व निर्विवाद काश्त करती चली आ रही है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की [illegible] दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य [illegible] सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:47:55 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 10

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 128/127 के कुल खसरे 28 की कुल 6.6920 है. भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीया का कथन है कि रोही मोजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 128/127 के कुल खसरे 28 की कुल 6.6920 है. भूमि रणजीत पुत्र छोगसिंह की मृत्यु के पश्चात् मृतक के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम विरास्तन दर्ज हो गई। जबकी उक्त भूमि के प. न. 365/394 के मु.न. 62 के किला न. 3 की भूमि में से मिन उतर की कुल 0.1270 है. भूमि के मिन उतरी पश्चिमी कोना की 0.03926 है. भूमि का बैयनामा प्रतिवादीगण के मृतक पिता रणजीतसिंह पुत्र छोगसिंह व मृतका दादी शेरा पत्नी स्व. श्री छोगसिंह से जरिये बैयनामा दिनांक 21.11.2005 को वादीया अनुसुईया उर्फ शारदादेवी पत्नी रामस्वरूप के नाम उपपंजीयक नोहर में पंजीयन करवाया था। जिस पर वादीया र्निविवाद काबिज है। विरास्तन दर्ज होने की वजह उक्त बैयनामा का नामान्तकरण दर्ज नही हो पाया। रोही मोजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 128/127 के कुल खसरे 28 की कुल 6.6920 है. भूमि के किला न. 3 के मिन उतर के 3/1 की कुल 0.1270 है. भूमि के मिन उतरी पश्चिमी कोना की 0.03926 है. भूमि पर वादीया मुताबिक बैयनामा दिनांक 21.11.2005 की रूह से काबिज है व र्निविवाद काश्त करती चली आ रही है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। बैयनामें के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि वादी की खरीदशुदा है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 128/127 के कुल खसरे 28 की कुल 6.6920 है. भूमि के प. न. 365/394 के मु. न. 62 के किला 3/1 की कुल 0.1270 है. भूमि के मिन उतरी पश्चिमी कोना की 0.03926 है. भूमि का वादीया अनुसुईया उर्फ शारदादेवी पत्नी रामस्वरूप को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से के अनुसार यथावत रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/09/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:47:55 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 829/2024

अनवान : –

1. अनुसुईया उर्फ शारदादेवी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. विकास पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. सुमेरसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. सोनू कंवर पत्नी विकास जाति राजपूत निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. पुष्पा पत्नी प्रहलाद जाति राजपूत निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
6. नाबालिंग गोविन्द पुत्र प्रहलाद जरिये कुदरती बली माता पुष्पा पत्नी प्रहलाद जाति राजपूत निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
7. नाबालिंग मोहित पुत्र प्रहलाद जरिये कुदरती बली माता पुष्पा पत्नी प्रहलाद जाति राजपूत निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 829 सन 2024 निर्णय दिनांक 09/09/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 128/127 के कुल खसरे 28 की कुल 6.6920 है. भूमि के प. न. 365/394 के मु.न. 62 के किला 3/1 की कुल 0.1270 है. भूमि के मिन उतरी पश्चिमी कोना की 0.03926 है. भूमि का वादीया अनुसुईया उर्फ शारदादेवी पत्नी रामस्वरूप को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से के अनुसार यथावत रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/9/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:47:55 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर